

(4)

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ-23-15/2005/3-25,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 7/06/2017

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
म0प्र0 भोपाल।


विषय:- मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना नियम 2017.

राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना नियम 2017 तत्काल प्रभाव से लागू करता है।

नियमों के अंतर्गत सम्पादित होने वाले कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की पूर्ण जिम्मेदारी आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल की होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(डॉ० के०एन०पाण्डे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन


आदिम जाति कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 7-6-17

पू० क्रमांक एफ-23-15/2005/3-25,

प्रतिलिपि:

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/मध्यप्रदेश शासन।
2. आयुक्त/संचालक, स्थानीय शासन/नगरीय प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. समस्त जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश।
5. निज सहायक, माननीय मंत्री, आदिम जाति कल्याण विभाग म0प्र0 भोपाल
6. स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
8. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश/ जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण म0प्र0।
9. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति कल्याण विभाग



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 जून 2017—ज्येष्ठ 17, शक 1939

अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 जून 2017

मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना नियम 2017

क्रमांक एफ. 23-15/2015/3-25, राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों की अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बस्तियों के विकास हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं.

1. संक्षिप्त नाम- विस्तार एवं प्रारंभ -
 - 1.1 यह नियम मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना नियम 2017 कहे जायेंगे।
 - 1.2 इनका विस्तार एवं कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा।
 - 1.3 ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।
 - 1.4 मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण के लिये प्रावधानित राशि का उपयोग इन नियमों के अनुसार किया जावेगा।

2. योजना का उद्देश्यः

अनुसूचित जाति / जनजाति बस्तियों में मूलभूत आवश्यकताओं से सम्बन्धित अधोसंरचना विकास कार्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य शासन द्वारा किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल 1.53 करोड है जो कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत है एवं अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1.13 करोड है जो कुल जनसंख्या का 15.6 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति / जनजाति बाहुल्य ग्रामों में नालिया, मुख्य सड़कें, ग्राम तक सड़क, पुलिया, रपटों, बस्तियों का विद्युतीकरण, पम्पों के ऊर्जाकरण, सामाजिक कार्यक्रम/समारोहों हेतु सामुदायिक भवनों आदि मूलभूत सुविधाओं के विस्तार तथा विभाग की विभिन्न शैक्षणिक एवं आवासीय संस्थाओं की सुविधाओं के विस्तार हेतु यह योजना प्रस्तावित है।

3. परिभाषाएं :-

- 3.1 'राज्य शासन' से तात्पर्य "मध्यप्रदेश शासन" है।
- 3.2 "अनुसूचित जाति/जनजाति" से तात्पर्य ऐसी जाति/जनजातियों से है जिन्हें भारत शासन द्वारा राज्य के लिये अनुसूचित जाति/जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है (वर्तमान सूची परिशिष्ट 1-अ एवं 1-ब)।
- 3.3 "अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बस्ती" से तात्पर्य ऐसे ग्रामों/बस्ती/वार्डों/मजरे/टोलों/पारों (नगरीय एवं ग्रामीण) से है जिनमें अंतिम जनगणना अनुसार अनुसूचित जाति/जनजातियों की जनसंख्या उसी ग्राम/ग्रामों/बस्ती/वार्डों/मजरे/टोलों/पारों (नगरीय एवं ग्रामीण) की कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत (अनुसूचित जाति के लिए) और 50 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति के लिए) या उससे अधिक हो।
- 3.4 "कलेक्टर/जिलाध्यक्ष" से तात्पर्य जिला कलेक्टर से है।
- 3.5 "जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत" से तात्पर्य मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत गठित जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत से है।

- 3.6 "स्थानीय निकाय" से तात्पर्य मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956, अथवा मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम - 1961 के तहत गठित नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत आदि स्थानीय निकायों से है।
- 3.7 इन नियमों के प्रयोजन के लिए विशालीय आवासीय एवं शिक्षण संस्थाएं अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती मान्य की जावेगी तथा वहां इन नियमों के तहत कार्य किये जा सकेंगे।
- 3.8 अनुसूचित जाति/जनजाति कृषक से तात्पर्य अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति से है जिसके नाम पर अधिकतम 10 हेक्टेयर भूमि हो।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों का चिन्हांकन एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों का चयन-
- 4.1 प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों का चिन्हांकन निर्धारित संलग्न प्रारूप "परिशिष्ट-2" में किया जायेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्ती की आबादी के घटते क्रम में सूची तैयार की जायेगी। यह सूची जिले के लिये प्राथमिकता सूची होगी। निर्धारित प्रतिशत से कम आबादी वाली बस्तियों को सूची में शामिल नहीं किया जावेगा।
- 4.2 अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के खेतों में सिंचाई सुविधा हेतु विद्युत लाईन के विस्तार/पम्पों के ऊर्जाकरण हेतु आवेदन जिला स्तर पर प्राप्त किये जावेगे। जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों की सूची छोटे से बड़े भूमि धारक के बढ़ते क्रम में तैयार की जावेगी जिसका अनुमोदन कंडिका-4.3 में उल्लेखित समिति द्वारा किया जावेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि यह कृषक केवल कण्डिका 4.1 में चिन्हित बस्ती में निवासरत हो। केवल कण्डिका 3.8 अन्तर्गत पात्र होना आवश्यक होगा।
- 4.3 जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में हितग्राही के चयन एवं कार्यों के अनुमोदन हेतु निम्नानुसार समिति होगी:-

1	जिले के प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
2	कलेक्टर	सदस्य
3	विधायक (आदिवासी जिले हेतु 01 अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति जिले हेतु 01 अनुसूचित जाति के विधायक)	सदस्य
4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
5	निर्माण विभाग के एक अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
6	विद्युत वितरण कम्पनी के जिला स्तरीय अधिकारी (जी.एम/डी.जी.एम)	सदस्य
7	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति कल्याण	सदस्य सचिव

4 उपरोक्तानुसार प्राथमिकता क्रम एवं चयनित कार्य/हितग्राहियों का विवरण अनिवार्यतः जिले की वेबसाइट पर प्रति वर्ष प्रदर्शित किया जाए।

5. कार्यों का निर्धारण -

इस योजना में निम्नानुसार कार्य लिये जा सकेंगे:-

- 5.1 बस्तियों का विद्युतीकरण एवं कृषकों के पम्पों का ऊर्जाकरण - विशेष ध्यान दें कि विद्युत आपूर्ति निकटतम सोर्स से लाई जाये।
 - 5.2 विभागीय संस्थाओं में पेयजल आपूर्ति हेतु हेण्डपंप एवं नलकूप खनन (सबमर्सिबल पंप सहित)
 - 5.3 ग्राम पंचायत स्तर के सामुदायिक भवनों का निर्माण
 - 5.4 छात्रावास/आश्रम/विद्यालयों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्ष, शौचालय निर्माण एवं कन्या छात्रावास, आश्रम हेतु बाउण्ड्रीवाल संबंधी कार्य।
 - 5.5 उन अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों में जहां किसी भी योजना में सी सी रोड/आंतरिक नाली निर्माण नहीं किया गया हो, वहां सी सी रोड/आंतरिक नाली निर्माण कार्य।
 - 5.6 जल-मल निकासी हेतु पक्की नाली का निर्माण।
 - 5.7 सार्वजनिक चबूतरा निर्माण।
6. प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति के अधिकार :-

इस योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के प्राक्कलन चयनित निर्माण एजेन्सी द्वारा तैयार किये जावेगे। तकनीकी स्वीकृति के अधिकार सम्बन्धित कार्य एजेन्सी के कार्य विभाग के मैन्युअल/ प्रदत्त वित्तीय अधिकार अनुसार होगी। ग्रामीण अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों में आंतरिक सडकों तथा नाली निर्माण में प्रति वर्ग मीटर निर्माण लागत विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्र. 7505/22/वि-10/ग्रायांसे/2016, दिनांक 24.12.2016 तथा 53/22/ वि-10/2017, दिनांक 4.01.2017 में दिये निर्देशों के अनुरूप होगी तथा तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति में इसका उल्लेख किया जायेगा।

7. प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार :-

कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति कंडिका 4.3 में उल्लेखित समिति के अनुमोदन उपरांत कलेक्टर द्वारा विभाग के लिये प्रचलित वित्तीय शक्ति पुस्तिका भाग-2 में प्रदत्त वित्तीय अधिकार के अनुरूप जारी की जाएगी। विद्युत कार्यों में प्रशासकीय स्वीकृति में विद्युत लाइन में कार्य पूर्ण होने के बाद संभावित कनेक्शन चार्ज की राशि कंपनी के डिमांड नोट के आधार पर शामिल की जाए।

8. कार्य एजेन्सी का निर्धारण एवं निर्माण कार्यों का निष्पादन :-

8.1 समिति द्वारा कार्य/हितग्राही के अनुमोदन के पश्चात् कलेक्टर द्वारा कार्य एजेन्सी का निर्धारण किया जावेगा, जो कार्य विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, इत्यादि हो सकते हैं। आदिमजाति/अनुसूचित जाति विकास के यांत्रिकी अमले से वही कार्य कराया जाये जो उनके विभाग अन्तर्गत वित्तीय शक्ति पुस्तिका भाग-2 में प्रदत्त वित्तीय अधिकार सीमा के अन्तर्गत हो।

8.2 अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बस्तियों में इस योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निष्पादन उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जावे जिसमें कार्य स्वीकृत हुआ हो।

9. आवंटन का प्रदाय :-

9.1 योजना के अन्तर्गत उपलब्ध राशि का आवंटन जिले की अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में संबंधित जिला कलेक्टर को किया जायेगा। विभागीय अधिकारी प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर संबंधित निर्माण एजेन्सी को राशि अंतरित करेंगे।

9.2 निर्माण एजेन्सियों, ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों को धनराशि उपलब्ध कराने के पूर्व "परिशिष्ट-3" प्रारूप में एक करार (अनुबंध) निष्पादित कराया जावेगा।

9.3 यदि किसी निर्माण एजेन्सी, ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निकाय ने उसे पूर्व में स्वीकृत राशि का उपयोग अनुबंध की शर्तों के अनुसार नहीं किया है तो

उमे आगामी वर्ष में नये कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध नही कराई जायेगी।
इस हेतु विभागीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

10. कार्य पूर्णता एवं धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र:-

10.1 इस योजना के तहत स्वीकृत कार्य की पूर्णता तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

10.2 निर्माण कार्य की पूर्ति हेतु निर्धारित अवधि में वृद्धि विशेष परिस्थिति में कलेक्टर कार्य पूर्ण होने की अवधि में वृद्धि कर सकेंगे किन्तु कार्य अवधि में वृद्धि करते समय निर्माण लागत बढ़ने के कारण अतिरिक्त धनराशि कदापि स्वीकृत नही की जायेगी।

11. योजना के तहत स्वीकृत कार्य का लेखा:-

योजना के अंतर्गत वर्ष में कार्य का लेखा-जोखा रखने हेतु संलग्न परिशिष्ट 4 के अनुसार पंजी का संधारण सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग कार्यालय के अतिरिक्त संबंधित निर्माण एजेन्सी/स्थानीय निकाय एवं विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

12. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :-

आयुक्त, आदिवासी विकास एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास के अनुसंधान / मूल्यांकन प्रकोष्ठ द्वारा समय-समय पर योजना का मूल्यांकन किया जायेगा।

13. निरसन-एतद द्वारा मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति /जनजाति बस्ती विकास नियम 2005 तथा 2014 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों में विद्युतीकरण, अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु विद्युत लाईन का विस्तार (पम्पों का उर्जीकरण) योजना नियम 2016 तथा इन नियमों के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी पूर्व संशोधन सम्बन्धी समस्त आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुषमा शर्मा, उपसचिव.

परिशिष्ट-1 (अ)

मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ (संशोधन 1976)

1. अगरिया
2. आन्ध
3. बैगा
4. मैना
5. मारिया, भूमिआ, भुईहार, भूमिआ, भूनिया, मारिया, पालिहा, पांडो
6. भतरा
7. भील, भिलाला, बारेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भुजिया
10. बिआर, बियार
11. बिंझवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. दामोर, दामरिया
14. धनवार
15. गदाबा, गदबा
16. गोंड, अरख, अर्राख, अमारिया, असुर, बडी मारिया, बडामारिय, भटोला, भिम्मा, भूता, काइलामूता, कोइलामूती, भार, बायसनहार्न मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरु, धुरवा, धोबा, धुलिया, दोरला, गायकी, गत्ता, गत्ती, गैता, गोंड-गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंग, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोध्या, मोगिया, मोध्या, मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राजगोंड, सोन्झारी, झरेका, थटिया, थेट्या, बडे मारिया, बडेमाडिया, दरोई
17. हलबा, हलबी
18. कमार
19. कारकू
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तंवर, चत्री
21. विलापित
22. खैरवार, कोंदर
23. खरिया
24. कांध, खेड, कंध
25. कोल
26. कोलम

कोरको, बोपची, मोआसी, निहाल, नाहुल बोंधी, बौदेया

28. कोरवा, कोडाकू
29. माझी
30. मझवार
31. मवासी
32. विलोपित
33. मुंडा
34. नगेरिया, नगासिया
35. चरांव, धनका, धनगढ
36. परिका, (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल और टीकमगढ जिलों में)
37. पांव
38. परधान, पथारी, सरोती.
39. पारधी (भोपाल, रायसेन और सीहोर जिलों में)
40. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लांगोली पारधी, फांस पारधी, शिकारी, टाकनकर, टाकिया 1. बस्तर छिन्दवाडा, मंडला, रायगढ, सिवनी और सरगुजा जिलों 2 बालाघाट जिले की बैहर तहसील में 3 बैतूल जिले के बैतूल, और भैसदेही तहसीलों में 4 बिलासपुर जिले की बिलासपुर और कटघोरा तहसीलों में 5 दुर्ग जिले की दुर्ग एवं संजरी तहसीलों में 6 जबलपुर जिले के मुखवाग पाटन और सीहोर तहसीलों में 8 होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद और सुहागपुर तहसीलों में और नरसिंहपुर जिले में 9 खण्डवा जिले के हरसूद तहसील में 10 रायपुर जिले की बिन्द्र नवागढ, धमतरी, और महासमुन्द तहसीलों में)
41. परजा
42. सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सोसिया, सोर.
43. साओता, सीता
44. सौर
45. सावर, सावरा
46. सोर

परिशिष्ट-1(ब)

अनुसूचित जातियों की सूची

1. औधेलिया
2. बागरी, बागड़ी
3. बहना, बहाना
4. बलाही, बलाई
5. बांछड़ा
6. बरहर, बसोड़
7. बरगुन्डा
8. बसोर, बुरुड़, बंसोर बांसोड़ी, बांसफोद, बसार
9. बेड़िया
10. बेलदार, सुनकर
11. भंगी, भेतर, वाल्मीक, लालबेगी, धरकार
12. भानुमती
13. चडार
14. चमार, चमारी, बैरवा, भांबी, जाटव, मोची, रेगर, तोना, रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्यावंशी, सूर्यरामनामी, अहिरवार, चमारमोंगन, रैदास
15. चिदार
16. चिकवा, चिकवी
17. चित्तार
18. दहाइत, दहायत, दाहत
19. देवर
20. धानुक
21. धेड़, धेड़
22. धोबी, (भोपाल, रायसेन एवं सिहोर जिलों में)
23. डोहोर
24. डोम, डुमार, डोमे, डोमार, डोरिस
25. गांडा, गांडी

- घासी, घसिया
27. होलिया
28. कंजर
29. कातिया, पथरिया
30. खटीक
31. कोली, कोरी
32. कोतवाल (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी उज्जैन और विदिशा जिलों में)
33. खंगार, कनेरा, मिस्धा
34. कुचबधिया
35. कुम्हार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी और टीकमगढ़ जिलों में)
36. महार, मेहरा, मेहर
37. मांग, मांग गरोडी, मांग गारूडी, दंखनी मांग, मांग महाशी, मदारी, गारूडी, राधे मांग
38. मेघवाल
39. मोधिया
40. मुसखान
41. जट, कालबेलिया, सपेरा, नवदिगार, कुबुतर
42. पारधी (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी उज्जैन और विदिशा जिलों में)
43. पासी
44. रूज्झर
45. सांसी, सांसिया
46. सिलावट
47. झमराल

परिशिष्ट-3
(नियम 9.2 देखिये)
अनुबन्ध पत्र

1. यह अनुबन्ध आज दिनांक को मध्यप्रदेश शासन के प्रतिनिधि के रूप में जिलाध्यक्ष
और ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नोटोफाईल एरिया कमेटी / नगर निगम
तहसील के मध्य किया जाता है ।

2. राज्य शासन की ओर से जिलाध्यक्ष द्वारा उनके कार्यालयीन आदेश क्रमांक
दिनांक के द्वारा प्राप्तकर्ता को कार्य की कुल अनुमानित लागत के निर्माण
हेतु रु. (अक्षरों में) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा राशि
रूपये प्राप्तकर्ता को उक्त निर्माण कार्य पर व्यय करने के लिये अग्रिम रूप से देना स्वीकार
किया है और प्राप्तकर्ता उक्त धनराशि को उपयुक्त आशय हेतु निम्न अनुबन्धों एवं प्रतिबन्धों पर लेने के
लिये सहमत है ।

3. (अ) प्राप्तिकर्ता जिलाध्यक्ष के सन्दर्भित आदेश पत्र में दर्शाये स्थान पर
का निर्माण कार्य जिलाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन एवं मानचित्र तथा प्रशासकीय स्वीकृति के
अन्तर्गत और आधार पर एवं समय सीमा में करेगा ।

(ब) प्राप्तिकर्ता, प्रदानकर्ता द्वारा स्वीकृति डिजाईन एवं विस्तृत विवरण में कोई संशोधन एवं परिवर्तन
बिना प्रदानकर्ता की स्वीकृति के नहीं करेगा और प्राप्त राशि का उपयोग मानचित्र में दर्शाये कार्यों के
निर्माण हेतु करेगा ।

4. प्राप्तिकर्ता द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य राशि प्राप्त होने में 6 माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा.
यदि इस अवधि में निर्माण पूर्ण नहीं किया गया तो प्राप्तिकर्ता द्वारा सम्पूर्ण राशि 10 प्रतिशत ब्याज के
साथ प्रदानकर्ता को एक माह के भीतर लौटाई जावेगी ।

5. प्राप्तिकर्ता द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ संपादित किया जावेगा तथा मूल्यांकन के
मान से निर्माण कार्य यदि कम राशि का हुआ तो शेष राशि 10 प्रतिशत ब्याज के साथ प्राप्तिकर्ता
प्रदानकर्ता को एक माह के भीतर लौटायेगा.

6. यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा प्राप्त की गई राशि या उसकी आंशिक राशि का कोई दुरुपयोग पाया गया तो
प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रदानकर्ता की ऐसी राशि मय 10 प्रतिशत ब्याज के एक माह के भीतर लौटाई जायेगी.

7. प्राप्तिकर्ता उक्त निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की पाई जाने वाली हानि एवं क्षति के प्रति उत्तरदायी
होगा तथा ऐसी परिस्थिति में होने वाला अतिरिक्त व्यय प्राप्तिकर्ता के द्वारा वहन किया जायेगा.

8. निर्माण कार्य का निरीक्षण प्रदानकर्ता तथा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति तथा आदिम जाति कल्याण
विभाग के अधिकारी या मंत्रियों द्वारा किया जा सकेगा. यदि निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य में
कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त निर्माण कार्य में निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा
दिये गये सुझाव के अनुसार पूर्ति की जानी होगी.

9. प्राप्तिकर्ता उपरोक्त निर्माण कार्य को लेख पृथक तथा नियमानुसार रखेगा तथा उपरोक्त निर्माण कार्य

प्रगति की जानकारी प्रतिवेदन मासिक रूप से प्रतिमाह तारीख 10 तक प्रदानकर्ता को प्रेषित करेगा.

10. निर्माण कार्य पूर्ण होने के तुरन्त पश्चात् एक माह के भीतर प्राप्तिकर्ता कार्य का लेखा जोखा, मूल्यांकन प्रमाण पत्र पूर्णतः प्रमाण पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदानकर्ता को प्रस्तुत करेगा.

11. प्राप्तिकर्ता के हिसाब लेखा जोखा की जाँच जिलाध्यक्ष द्वारा नामांकित प्रतिनिधि आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारी संचालनालय कोष एवं लेखा/महालेखाकार मध्यप्रदेश आयुक्त, आदिवासी विकास के ऑडिट दल द्वारा की जा सकेगी ;

12. यदि अनुबन्ध में या इसमें अंतःदृष्टि किन्हीं भी उपबन्धों या उनसे उत्पन्न होने वाली किसी भी बात के सम्बन्ध में इसमें सम्बन्धित पक्षों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे आयुक्त, आदिवासी विकास की मध्यस्थता के लिये सन्दर्भित किया जावेगा जिस पर उनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को बंधनकारी होगा.

13. प्राप्तिकर्ता द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत इसका विधिवत हस्तांतरण प्राप्त किया जावेगा तथा प्राप्ति रसीद प्रदानकर्ता को दी जावेगी तथा उक्त निर्मित कार्य की भली भाँति रख रखाव संरक्षण तथा यदि कोई विस्तार आवश्यक हुआ तो स्वतः अपने स्त्रातों से किया जावेगा.

14. यह अनुबन्ध दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर दिनांक से लेकर जब तक उपरोक्त कार्य शर्तों के अनुसार पूर्ण नहीं होता तथा यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसके पूर्ण निपटारा होने तक प्रभावशील होगा.

15. इस लिखान का देय मुद्रा / पंजीयन शुल्क का भुगतान प्राप्तिकर्ता द्वारा किया जावेगा.

16. इसके साक्ष स्वरूप इनसे संबंधित पत्रों में अपने हस्ताक्षरों के सामने लिखी तारीख और वर्ष को इस विलेख पर अपने हस्ताक्षर किये हैं :-
साक्षीगण

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

परिशिष्ट-4

(नियम 12.1 देखिये)

अनुसूचित जनजाति बस्ती सघन विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की पंजी जिला स्तर पर रखी जाने वाली पंजी

जिल: स्वीकृत वर्ष

क्र	कार्य का नाम	स्थान / मोहल्ला पारा	ग्राम / नगर	विकास खण्ड	तहसील
1	2	3	4	5	6

लेखन की राशि	स्वीकृत राशि	जिला कार्यालय का स्वीकृत आदेश क्र. व दिनांक	कार्य करने वाली संस्था एजेन्सी
7	8	9	10

कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पर हुये व्यय की राशि	कार्य के मूल्यांकन की राशि
11	12	13	14

राशि	महालेखाकार को पूर्णता प्रमाण पत्र भेजने का पत्र क्र. एवं राशि		महालेखाकार को पूर्णता प्रमाण पत्र भेजने का पत्र क्र. एवं राशि	
	पत्र क्रमांक	पत्र क्रमांक	पत्र क्रमांक व दिनांक	राशि
15	16	17	18	19

यदि राशि अवशेष राही हो तो उस ट्रेजरी में रिफंड करने की			कार्य पूर्ण होने के उपरांत किस संस्था को सौंपा गया	हस्तांतरण ग्रहिता का	
चालान क्रमांक	दिनांक	राशि		नाम	पदनाम
20	21	22		23	24

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर की तिथि	रिमांक
25	26	27

(प्रत्येक कार्य के लिये अलग पन्ना रखा जावे)